संख्या– 1026 /XV-1/11/7(81)/05

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 14 नवम्बर, 2011

विषयः भेड़ों/बकरियों में सामूहिक दवापान (ड्रेचिंग) एवं सामूहिक दवास्नान (डीपिंग) की सुविधा दिये जाने हेतु लेवी मूल्यों में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1722–23/स्था०/लेवी–विविध/2011–12 दिनांक 05.09.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–397/XI/व०एवं ग्राम्य वि०/पशु/2001 दिनांक 27 फरवरी, 2001 के माध्यम से पशुपालन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सामूहिक दवापान (ड्रेचिंग) एवं सामूहिक दवास्नान (डीपिंग) की सुविधा दिये जाने हेतु लेवी की वर्तमान में प्रचलित दरों को निम्नवत संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र० सं०	सेवाएं	वर्तमान दर (₹ में)	संशोधित दर (₹ में)
1.	भेड़ों/बकरियों में सामूहिक दवापान (ड्रेचिंग शुल्क)	₹ 50 प्रति 100 छोटे पशु	₹ 100 प्रति 100 छोटे पशु
2.	भेड़ों/बकरियों में सामूहिक दवास्नान (डीपिंग शुल्क)	₹ 25 प्रति 100 छोटे पशु	₹ 50 प्रति 100 छोटे पशु

2. उक्त शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि को सुसंगत लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–155(NP)/XXVII(4)/2011 दिनांक 04 नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव

संख्या– 1026 (1)/XV-1/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव